SCHEDULE XII FROM NO. 13

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 1098 (II) / ~~2007-08~~ 2008-09

आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
14/6/08	आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती अपात्र प्रकाश पिता/पति स्व० राजेश्वर प्रसाद सिंह साकिम सिन्दरी थाना सिन्दरी जिला–धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा लाहापहला मौजा नं० 8 खाता नं० 7 प्लॉट नं० 801,802,993 रकबा 2426.75 वर्गफीट दलील सं० 6525 दिनांक 9.7.07 के द्वारा श्री/श्रीमती रेवा पाल से प्राप्त किया है। मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 28.6.08 को उपस्थापित करें। 14/6 अंचल अधिकारी, धनबाद।	
28/6/08	अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नही किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार – 1) भूमि रैयती खाते की है। 2) जमाबदी सं० 3004 में विक्रेता के ——— के नाम लगान रसीद कट रहा हैं। 3) आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। 4) निबंधन धनबाद/ ~~कलकत्ता~~ निबंधन कार्यालय से किया गया है/ ~~तथा अन्तर मुद्रांक की राशि कोषागार में जमा कर दलील को वैध कर लिया गया है।~~ 5) प्रश्नगत भूमि गैर आबाद, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है। अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल–खारिज आवेदन को ——— किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एंव हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी धनबाद। अंचल अधिकारी धनबाद।	

मेरे द्वारा फोटो कॉपी किया गया
10/08/22
हस्ताक्षर/टंकक

मिलान किया
मो० मोकीप
10/08/2022
तुलना लिपिक

आमप्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
10.08.2022
प्रधान सहायक
जिला अभिलेखागार
नियम 76 एक्ट 1/1872 द्वारा प्रदत्त